रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 1993/श्रावण 22, 1915
No. 273] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 1993/SRAVANA 22, 1915

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1993

सा. का. नि. 552(अ)—भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं निबंधन) विनियम, 1988 का पुनः संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं निबंधन) संशोधन विनियम, 1993 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियम 6, उपविनियम (1) से पहले परंतुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाये । इस शर्त के साथ कि :

"उपमहानिदेशक और उससे ऊपर के स्तर के सभी पदों पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अनुसार हो ।"

[सं. बी. आई. एस./ईसी/आरईजी/3]

लेफ्टि. जन. अ. सि. भुल्लर, महानिदेशक

टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना सा. का. नि. 34(अ) दिनांक 15 जनवरी 1988 द्वारा प्रकाशित हुई तथा उसके बाद सा. का. नि. सं. 1033 (अ) दिनांक 26 अक्तूबर, 1988 तथा सा. का. नि. सं. 598(अ) दिनांक 25 जून, 1990 तथा सा. का. नि. सं. 724 (अ) दिनांक 22 अगस्त, 1990 तथा सा. का. नि. सं. 808(अ) दिनांक 1 सितम्बर, 1990 तथा सा. का. नि. सं. 204(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 1991 द्वारा संशोधित की गई ।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 1993

G.S.R. 552(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of th Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Executive Committe of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Centr Government, hereby makes the following regulations further to amend th Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees Regulations, 1988, namely : —

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standard (Terms and Conditions of Service of Employees) Amendmer Regulations, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in t Official Gazette.

2. In regulation 6, sub-regulation (1), the text of first proviso shall be replaced by the following :

"Provided that appointment to all posts of the level of Deputy Director General and above shall be made with the approval of the Central Government."

[No. BIS|EC|REG|3]

LT. GEN. A. S. BHULLAR, Director General

NOTE : The principal notification was published vide GSR No. 34(E) dated the 15th January, 1988, and subsequently amended vide GSR No. 1033(E) dated 26th October, 1988, GSR No. 598(E) dated 25th June, 1990, GSR No. 724(E) dated 22nd August, 1990, GSR No. 803(E) dated 1st September, 1990 and GSR No. 204(E) dated 5th April, 1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993